न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2013/00201 (111/2013)

1. नानकराम पुत्र मनफूलराम जाति नायक साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सतपाल पुत्र आसाराम जाति नायक साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. हंसराज पुत्र हरिराम जाति नायक साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. ज्ञानाराम पुत्र नारायणराम जाति नायक साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. गुड्डी देवी पत्नी कुरड़ाराम
3. बन्ती देवी पुत्र कुरड़ाराम
4. जमनादेवी पत्नी हजारीराम
5. साहबराम पुत्र हजारीराम
6. भादरराम पुत्र हजारीराम
7. भगवानाराम पुत्र हजारीराम
8. छोटूराम पुत्र हजारीराम
9. मानाराम पुत्र हजारीराम
10. बन्ती पुत्री हजारीराम
11. केसर देवी बेवा हरीराम
12. जैसाराम पुत्र हरीराम
13. कालूराम पुत्र हरीराम
14. पृथ्वीराज पुत्र हरीराम
15. सावित्री बेवा बलराम
16. हनुमान पुत्र बलराम
17. धन्नी देवी पुत्री बलराम
18. औमप्रकाश पुत्र बलराम
19. बुधा देवी पुत्री बलराम
20. चावली बेवा आत्माराम

जाति नायक साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

21. रजीराम पुत्र आत्माराम
22. बुधराम पुत्र आत्माराम
23. सीमादेवी पुत्री आत्माराम
24. छोटूदेवी पुत्री आत्माराम
25. सुगना देवी बेवा बिहारीलाल
26. मंजूदेवी पुत्री बिहारीलाल
27. संतोष पुत्री बिहारीलाल
28. सुशीला देवी पुत्री बिहारीलाल
29. विमला देवी पुत्री बिहारीलाल
30. मांगीलाल पुत्र बिहारीलाल
31. मनोज पुत्र बिहारीलाल
32. तीजा देवी पत्नी आसाराम
33. सन्तो पुत्री आसाराम
34. राधा पुत्री आसाराम
35. मानाराम पुत्र आसाराम
36. धर्माराम पुत्र आसाराम
37. रामीदेवी बेवा भागीरथ
38. देवीलाल पुत्र भागीरथ
39. चेतराम पुत्र भागीरथ
40. रामकुमार पुत्र भागीरथ
41. सुन्दर पुत्री भागीरथ
42. सुख देवा पुत्र भागीरथ
43. गीतादेवी पुत्री भागीरथ
44. इमीलाल पुत्र भागीरथ
45. रामकुमार पुत्र मनफूल
46. महावीर पुत्र मनफूल
47. रामेश्वरी पुत्री मनफूल
48. सीमा पुत्री मनफूल
49. सरबती पत्नी मनीराम
50. रूघाराम पुत्र मनीराम
51. बुद्धाराम पुत्र मनीराम
52. मन्जू पुत्री मनीराम

जाति नायक साकिन अराईयांवाली

तहसील व जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

53. माया पुत्री मनीराम
54. चिड़िया पत्नी अमीचंद
55. जगदीश पुत्र अमीचंद
56. सुनीता पुत्री अमीचंद
57. मंजू पुत्री अमीचन्द
58. ममता पुत्री अमीचंद
59. देवीलाल पुत्र पुरखाराम
60. सुलतान पुत्र पुरखाराम
61. निको बेवा पुरखाराम
62. औमप्रकाश पुत्र श्योपतराम
63. गोपीराम पुत्र श्योपतराम
64. कैलाश पुत्र श्योपतराम
65. सावित्री पुत्री कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम
66. शैलेन्द्र पुत्र कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम
67. विनोद पुत्र कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम
68. सुखी पुत्री कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम
69. अंगूरीदेवी पुत्री कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम
70. सोहनी पुत्री बिहारीलाल
71. संतरो पुत्री पुरखाराम
72. बीदामी पुत्री पुरखाराम
73. रोशनी पुत्री पुरखाराम
74. सीमा पुत्री पुरखाराम
75. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

जाति नायक साकिन अराईयांवाली
तहसील व जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.04.2005 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 67/2002 बअनवानी ज्ञानाराम आदि बनाम हजारीराम

उपस्थितः–
श्री मदनलाल मूंड अधिवक्ता अपीला
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो... सं0 75

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक – 18.03.21

1. प्रकरण में संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 3 ए.आर.डब्ल्यू में 11.013 बीघा 1955 से पूर्व की भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ता 23 का 1/4, 24 ता 42 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में नारायण के नाम से दर्ज थी व उसकी मृत्यु के बाद ज्ञानाराम व पुत्र कुरड़ाराम के नाम से दर्ज हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गया। भूमि वादीगण के नाम दर्ज है एवं उनके ही कब्जा काश्त में है। वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि डीसीसी हनुमानगढ धारा 15एएए आरटीएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.10.1972 के आधार पर खातेदार घोषित करने राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। अपीलाण्ट सं0 1 के पिता मनफूल, व 2 के पिता आसाराम व रेस्पोडेण्ट 59 ने जवाब दावा पेश किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायलाय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता आसाराम के हक व हिस्सा की भूमि थी जो प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी का नाम कलमजन करने का आदेश परित किया है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। अपीलाण्ट ने अपालधीन निर्णय दिनांक 21.04.2005 की जानकारी होने पर दिनांक 04.06.2013 को प्रस्तुत की है, जो लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है। अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोझेण्ट ज्ञानाराम द्वारा अन्य वाद ज्ञानाराम बनाम लिछमा आदि में नोटिस प्राप्त होने पर हुई। उससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट सं0 2 के पिता आसाराम विचारण न्यायालय में बतौर प्रतिवादी संख्या 24 पक्षकार थे जिनकी मृत्यु सन 2002 को हो गई थी परन्तु उनके किसी वारिस को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के निण्ग्रय पारित किया है। वादग्रस्त [illegible] से पूर्व की आरजी काश्त की भूमि है जिसके सम्बन्ध में धारा [illegible] सहायक कलक्टर 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

से पूर्व की भूमि के संबंध में घोषणा करने का अधिकारी नहीं है। 1955 से पूर्व की भूमि के सम्बन्ध में 15एएए के तहत ही अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। अपीलाण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था अपीलधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया है। सहायक कलक्टर को धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 125 व 136 के अनतर्गत खातेदारी घोषित करने के अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनवानी पत्रावली पुरखाराम पुत्र रूपा नायक साकिन अराईयांवाली पत्रावली संख्या 1932/71 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.1972 को वादग्रसत भूमि पर संयुक्त खाता की भूमि बाबत शर्त संख्या 3 (2) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) क्षेत्र के 195 से पूर्व` अस्थाई अभिधारियों को राजकीय भूमि आवंटन)शर्तें 1971 के तहत खातेदारी देनी मानकर वाद्रस्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 को 1955 से पर्वू के काश्तकार घोषित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 313, आरआरडी 1991 पेज 492, डीएनजे 2015 (2) एससी पेज 592, आरएलडब्ल्यू 1997 आई (आरएचसी) पेज 396, आरबीजे (25) 2018, आरआरडी 1997 पेज 287, यू. जे. (एस.सी.) 1975 पेज 475 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत खसरा नं. 712 की प्रश्नगत 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि रेसपो0 के पूर्वजनारायण वल्द देवा के नाम अकेले दर्ज थी तथा इस भूमि में अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं था। नारायण सिंह के वारिसान ज्ञानाराम व कुरड़ाराम को यह भूमि 28.10.1972 को कीमतन आवंटन की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि भी आवंटित हुई थी। अपीलाण्ट के पूर्वज धर्माराम पुत्र. आशाराम, देवीलाल पुत्र भागीरथ व मनफूल पुत्र रावताराम ने दिनांक 04.02.2004 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया था। तथा डीडब्ल्यू 1 के रूप में मनफूल पुत्र रावता साक्ष्य में प्रसतुत हुआ है। अपीलाण्ट के पूर्वजों ने इस वादपत्र का सम्यक रूप में मनफूल प्रतिवाद किया है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलण्ट ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (14) 2007, [illegible] पेज 1018, आरआरटी 2011–12 (सुप) पेज 284, डीएनजे [illegible] के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

5. विद्वान राजकीय अधिवक्त ने विधि अनुसार निष्प्रय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालयम् रेस्पोउेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधिकरों की घोषणा का वाद पेश किया था जो दिनांक 21.04.2005 को डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के इस अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 04.06.2013 को लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोज्ञेण्ट ज्ञानाराम द्वारा अन्य वाद ज्ञानाराम बनाम लिछमा आदि में नोटिस प्राप्त होने पर हुई। उससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी जबकि अपीलाण्ट के पूर्वज धर्माराम पुत्र. आशाराम, देवीलाल पुत्र भागीरथ व मनफूल पुत्र रावताराम ने दिनांक 4.02.2004 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया है तथा डीडब्ल्यू–1 के रूप में मनफूल पुत्र रावता साक्ष्य में प्रस्तुत हुआ है। अपीलाण्ट के पूर्वजों ने सम्यक रूप से वाद का प्रतिवाद किया है। अपीलाण्ट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी अथवा सुना नहीं गया। अपीलाण्ट ने यह अपील 7 वर्ष पश्चात् पेश की है। देरी का समुचित कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.04.2005 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जावे पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 18.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/8/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner